न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –63/2018 जिला दौसा।

1. रामफूल पुत्र कजोड़्या , जाति मीना
2. रामेश्वर पुत्र कजोड़्या, जाति मीना
3. राकेश पुत्र कमल , जाति मीना
4. आन्याराम पुत्र किशोरी लाल, जाति बैरवा
   निवासी बालाहेडी, तहसील महवा, जिला दौसा (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, तहसील महवा, जिला दौसा ।
2. ग्रम पंचायत बालाहेडी जरिये सरपंच पूरणमल पुत्र गोपी, जाति खटीक, निवासी बालाहेडी, तहसील महवा , जिला दौसा ।
3. पूरन चन्द पुत्र श्री मंगड़्या
4. रामकेश पुत्र श्री रामकिशन,
   जाति माली, निवासी मालीबास बालाहेडी तहसील महवा जिला दौसा (राज.)

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप जिला कलक्टर बांदीकुई, जिला दौसा दिनांक 12.9.2018

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री सतीश पारीक
2. वकील रेस्पोंडेन्ट्स राघव शर्मा व लक्ष्मीकान्त शर्मा

निर्णय

दिनांक –24.9.2019

चित्रा
इतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 12.9.2018 के खिलाफ धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ग्रम पंचायत बालाहेडी जरिये सरपंच पूरणमल पुत्र गोपी जाति खटीक, निवासी बालाहेडी, तहसील महवा द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उप खण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया कि वह ग्रम पंचायत बालाहेडी, पंचायत समिति , महवा का विधिक निर्वाचित सरपंच है जिसे पंचायत क्षेत्र में स्थित आबादी भूमियों, चारागाह आदि भूमि के संरक्षण, देखभाल, सुरक्षा एवं व्यवस्था संबंधी विधिक अधिकार प्राप्त है । ऐसी भूमियॉ ग्रम पंचायत में ही वेस्ट करती है । ग्रम बालाहेडी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 9.65 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर जो गत खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकीन आबादी में से बने हैं जो राजकीय भूमि है । भूमि प्रारम्भ से ही आबादी भूमि रही है और वर्तमान में भी आबादी बसी हुई है । विवादित भूमि की जानकारी पटवारी हल्का से लेने पर पटवारी द्वारा बताया कि गत खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 3 की किस्म आबादी दर्ज की है किन्तु गत खसरा नम्बर 3 से बने नवीन खसरा नम्बर 53 की किस्म भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बारानी दोयम दर्ज कर दी गई । इस प्रविष्ठि के बने रहने से प्रार्थी के कानूनी अधिकारों का हनन होगा । उनके द्वारा तहसीलदार महवा से दिनांक 25.7.2018 को गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो इन्कार कर दिया तथा सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने को कहा । भू प्रबन्ध विभाग

द्वारा मौके की जॉच नहीं की तथा ग्रम पंचायत को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और बिना सुने भूमि की किस्म परिवर्तित करने का भू प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर की किस्म बारानी दोयम से गैर मुमकीन आबादी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की ।

ग्रम पंचायत के उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी महवा, जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.9.2018 पारित किया कि " भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वह पुराने इन्द्राज को ही दोहरा सकते हैं । त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के सुधार करने का प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में किया गया है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्णतया प्रमाणित होता है, जो स्वीकार योग्य है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्रम बालाहेडी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर की किस्म बारानी दोयम के स्थान पर गैर मुमकीन आबादी दर्ज की जावे "।

उप खण्ड अधिकारी महवा के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2018 से व्यथित होकर यह अपील धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि पर मौके पर आम रास्ता है तथा मौके पर डामर रोड बना हुआ है व ग्रम बालाहेडी व आस पास के गॉवों से उप तहसील मंडावर जाने के लिये सुगम व उपयुक्त रास्ता है और ना ही इस तथ्य की रिपोर्ट तलब की गई । सरपंच ने अपने स्वयं व अपने चहेतों को लाभान्वित करनें के उद्देश्य से तथा भूमि रास्ते के उपयोग में आने के बावजूद भी लोगों को पट्टे जारी करने की दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था । उक्त भूमि के पूर्व के रिकार्ड में भी डोटेड लाईन से रास्ता दर्ज है , लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की जॉच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्यक नहीं है । उनका कहना था कि पूरण व अन्य लोगों के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के संबंध में फर्जीवाडा करने पर उनके खिलाफ पुलिस थाना महवा में जरिये इस्तगासा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 236/20.18 दर्ज हुई थी जिसमें मिलीभगत कर एक माह में ही निर्णय करवा लिया और रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर फर्जी पट्टे जारी करने को आमादा है । उनका यह भी कहना था कि अपीलान्ट व अन्य ग्रमवासियों ने उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार व उप खण्ड अधिकारी महवा को शिकायत भी की थी, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । उनका कहना था कि विवादित भूमि का अपीलान्ट्स व अन्य ग्रमवासी रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर रहे हैं व मौके पर वादग्रस्त रास्ते में डामर रोड भी बनी हुई है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधिविरूद्ध है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खतौनी भूमि एकीकरण विभाग संवत 2020 के अनुसार आराजी खसरा

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकीन आबादी दर्ज थी । जमाबंदी संवत 2021 – 24 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा आबादी के खाते में दर्ज है । विवादित भूमि की किस्म एकीकरण के समय गैर मुमकीन आबादी दर्ज होना प्रमाणित है । इसके पश्चात् जमाबंदी संवत 2037 –40 व 2041–45 के अनुसार आराजी के गत खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा निवास व वास स्थान के खाते में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग के अनुसार गत खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 3 रकबा 9.65 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर बनाये गये । जमाबन्दी सवंत 2051 में आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर की किस्म बारानी दोयम दर्ज है । इस प्रकार प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि के गत खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा की किस्म गैर मुमकीन आबादी थी तथा भू प्रबन्ध के दौरान गत खसरा नम्बर 3 से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 3 रकबा 9.65 हैक्टेयर की किस्म तो गैर मुमकीन आबादी दर्ज करदी, लेकिन खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर की किस्म बारानी दोयम दर्ज करदी गई, जो भू प्रबन्ध विभाग ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के विवादित आराजी की किस्म परिवर्तित की है जिसका भू प्रबन्ध विभाग को कोई विधिक अधिकार नहीं था । उनका कहना था कि भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व अभिलेख में अंकित पूर्व प्रविष्ठि को बदलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । उनका कहना था कि अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील रेस्पोंडेन्ट को हैरान व परेशान करने के उद्देश्य से की गई है । अपीलान्ट्स विवादित भूमि से किसी भी प्रकार से प्रभावित व्यक्ति नहीं होने से उन्हें यह अपील करने का विधिक अधिकार नहीं है । भू प्रबन्ध विभाग पुराने इन्द्राज को ही दोहरा सकता है । राजस्व रेकार्ड में हुई उक्त त्रुटि को सुधारने के लिये रेस्पोंडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट प्रस्तुत किया गया था । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार करते हुये ग्रम बालाहेडी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर की किस्म बारानी दोयम के स्थान पर गैर मुमकीन आबादी दर्ज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये हैं जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में मुख्यतः विवाद ग्रम बालाहेडी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर की किस्म बारानी दोयम के स्थान पर गैर मुमकीन आबादी दर्ज किये जाने के संबंध में है । ग्रम बालाहेडी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 9.65 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर जो गत खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकीन आबादी में से बने हैं । गत खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा से बने नवीन खसरा नम्बर 3 की किस्म आबादी दर्ज की है किन्तु गत खसरा नम्बर 3 से बने नवीन खसरा नम्बर 53 की किस्म भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बारानी दोयम दर्ज कर दी गई जिससे व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.9.2018 द्वारा इस आधार पर स्वीकार किया गया कि " भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व रिकार्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वह पुराने इन्द्राज को ही दोहरा सकते हैं। त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के सुधार करने का प्रावधान राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में किया गया है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्णतया प्रमाणित होता है, जो स्वीकार योग्य है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्रम

बालाहेडी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर की किस्म बारानी दोयम के स्थान पर गैर मुमकीन आबादी दर्ज की जावे "।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 के प्रार्थना पत्र पर खतौनी भूमि एकीकरण विभाग संवत 2020 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा गैर मुमकीन आबादी दर्ज होने, जमाबंदी संवत 2021 – 24 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा आबादी के खाते में दर्ज होने, विवादित भूमि की किस्म एकीकरण के समय गैर मुमकीन आबादी दर्ज होना प्रमाणित होने व इसके पश्चात् जमाबंदी संवत 2037 –40 व 2041–45 के अनुसार आराजी के गत खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा निवास व वास स्थान के खाते में दर्ज होना, नकल मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग के अनुसार गत खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 3 रकबा 9.65 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर बनाये गये । जमाबन्दी सवंत 2051 में आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर की किस्म बारानी दोयम दर्ज है । इस प्रकार प्रमाणित माना कि वादग्रस्त भूमि के गत खसरा नम्बर 3 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा की किस्म गैर मुमकीन आबादी थी तथा भू प्रबन्ध के दौरान गत खसरा नम्बर 3 से बनाये गये नवीन खसरा नम्बर 3 रकबा 9.65 हैक्टेयर की किस्म तो गैर मुमकीन आबादी दर्ज करदी, लेकिन खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर की किस्म बारानी दोयम दर्ज करदी गई, जो भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आदेश के परिवर्तित की है । भू प्रबन्ध विभाग को राजस्व अभिलेख में अंकित पूर्व प्रविष्ठि को बदलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होना मानते हुये प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्रम बालाहेडी तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 53 रकबा 0.50 हैक्टेयर की किस्म बारानी दोयम के स्थान पर गैर मुमकीन आबादी दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.9.2018 पारित किया है । हम समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 24.9.2019 को सुनाया गया ।

चित्रा

अतिरिक्त (चित्रा गुप्ता) आयुक्त
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर